82

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1445–तीन / 2009 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 9–9–09 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 588 / 07–08 अपील

रघुवीर तनय महादेव काछी
ग्राम पैपखार तहसील हनुमना
जिला रीवा म०प्र० --आवेदक

विरूद्व

रामलोटन तनय नर्वदाप्रसाद ब्राहमण

ग्राम पैपखार तहसील हनुमना
जिला रीवा म०प्र० ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 588 / 2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-9-09 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम पैपखार की भूमि सर्वे कमांक 449/1 क, 450, 449/1ख, 449/3 ख पर गलत कब्जा अंकित जाने के आधार पर सुधार किये जाने हेतु तहसीलदार हनुमना को

आवेदन दिया। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 26/अ-6-अ/2004-05 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 6-8-2005 पारित करके हलका पटवारी के प्रतिवेदन एंव पंचनामा को अधार मानकर कब्जा दुरूस्ती के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 66/अ-6-अ/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2008 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक 6-8-05 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 588/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-9-09 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अभिलेख से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, ने आदेश दिनॉक 9-9-09 में विवेचित किया है कि तहसीलदार हनुमना ने रघुवीर का नाम भूमि खसरा नंवर 450 से विलोपित कर खसरा नंबर 419/1क,

449/1 ख एंव 449/3 ख कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 ए. पर कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार ने रघुवीर के पक्ष में किये गये आदेश में पटवारी प्रतिवेदन को आदेश का मुख्य अंग बनाया है किन्तु पटवारी प्रतिवेदन में और तहसीलदार के आदेश में असमानता पाई गई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31-1-2008 से तहसीलदार के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसे सही मानते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने उनके समक्ष आवेदक व्दारा प्रस्तुत की गई अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनॉक 9-9-09 विस्तृत विवेचना पर आधारित है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-1-2008 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनॉक 9-9-09 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है , जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनॉक 9-9-09 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 588/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-9-09 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर